

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)छात्रवृत्ति/OPJS UNIVERSITY/SJED/2023/

7227

दिनांक : 11/12/23

आदेश

विभागीय आदेश क्र. 6068 दिनांक 19.07.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार शिक्षण संस्थान ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरु को छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। उक्त विश्वविद्यालय के आदिनांक तक समस्त स्तरों पर लंबित/होल्ड/विद्हेल्ड/अप्रूव्ड/संक्शन्ड एवं बिल जनरेटेड वाले आवेदन पत्रों को गुणावगुण के आधार पर विभागीय जिला अधिकारियों सान्याअवि द्वारा अपने क्षेत्राधिकारानुसार परीक्षण किया जावेगा, किंतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर विभाग द्वारा कोई भी नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक

क्रमांक : F9(4)छात्रवृत्ति/OPJS UNIVERSITY/SJED/2023/

7228-39

दिनांक : 11/12/23

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, चूरु।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (IT) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करवाने तथा संबंधित को ई-मेल करवाने हेतु।
7. प्रशाखा प्रभारी एवं सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रशाखा, सान्याअवि, कार्यालय हाजा।
9. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (छात्रवृत्ति), मुख्यावास।
10. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को पालनार्थ।
11. रजिस्ट्रार, ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरु।

Signature valid

निदेशक

RajKaj Ref
5115982



Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Designation : Director
Date: 2023.12.01 18:25:22 IST
Reason: Approved